रजिस्ट्री सं. डी.एल.- 33004/99 REGD. No. D. L.-33004/99



सी.जी.-डी.एल.-अ.-24092020-221943 CG-DL-E-24092020-221943

असाधारण EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii) PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2912] No. 2912] नई दिल्ली, बृहस्पतिवार, सितम्बर 24, 2020/आश्विन 2, 1942 NEW DELHI, THURSDAY, SEPTEMBER 24, 2020/ASVINA 2, 1942

स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय

(स्वास्थ्य और परिवार कल्याण विभाग)

अधिसूचना

नई दिल्ली, 24 सितम्बर, 2020

का.आ. 3260(अ).—राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग, 2019 (2019 का 30) की धारा 5 की उप-धारा (1) और धारा 8 की उप-धारा (1) के साथ पठित धारा 4 की उप-धारा (1) के उपबंधों के अनुसरण में, केंद्र सरकार एतद्द्वारा राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का गठन करती है, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

(1) धारा 4 की उप-धारा (2) के तहत, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग का अध्यक्ष, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, 25 सितम्बर, 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियुक्त किया जाता है:

डॉ. सुरेश चंद्र शर्मा, सेवानिवृत्त विभागाध्यक्ष, ईएनटी, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, नई दिल्ली।

(2) धारा 4 की उप-धारा (3) के तहत:

4451 GI/2020 (1)

अधिनियम	112111	1127121 27 127
की धारा	सदस्य	सदस्यता का स्तर
4(3) का		
खण्ड	101	
(1)	(2)	(3)
(क)	स्नातक चिकित्सा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष	सदस्य, <i>पदेन</i>
(ख)	स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा बोर्ड का अध्यक्ष	सदस्य, <i>पदेन</i>
(ग)	चिकित्सा मूल्यांकन और रेटिंग बोर्ड का अध्यक्ष	सदस्य, <i>पदेन</i>
(ঘ)	आचार और चिकित्सा पंजीकरण बोर्ड का अध्यक्ष	सदस्य, <i>पदेन</i>
(ड.)	स्वास्थ्य सेवा महानिदेशक, स्वास्थ्य सेवाएं महानिदेशालय, नई दिल्ली	सदस्य, <i>पदेन</i>
(च)	महानिदेशक, भारतीय चिकित्सा अनुसंधान परिषद	सदस्य, <i>पदेन</i>
(ন্ত্ৰ)	डॉ. सुरेखा किशोर, कार्यकारी निदेशक, अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थान, गोरखपुर	सदस्य, <i>पदेन</i>
(ज)	(i) डॉ. जगत राम, निदेशक, स्नातकोत्तर चिकित्सा शिक्षा और अनुसंधान संस्थान, चंडीगढ़	सदस्य, <i>पदेन</i>
	(ii) डॉ. राजेंद्र ए बाडवे, निदेशक, टाटा मेमोरियल अस्पताल, मुंबई	सदस्य, <i>पदेन</i>
(新)	श्रीमती आरती आहुजा, अपर सचिव, स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय, नई दिल्ली	सदस्य, <i>पदेन</i>

- (3) धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (क) के तहत निम्नलिखित को 25 सितम्बर, 2020 से चार वर्ष की अविध के लिए अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है:
 - i. डॉ. स्मिता कोल्हे, बैरागढ़, मेलाघाट, महाराष्ट्र
 - ii. श्रीमती संतोष कुमार कृलेती, सीईओ, फूट सोल्जर्स फॉर हेल्थ प्रा.लि. एवं संस्थापक तथा कार्यकारी निदेशक, धात्री (मात्र दुग्ध बैंक), हैदराबाद
 - iii. रिक्त

(4) धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ख) के तहत, निम्नलिखित को 25 सितम्बर, 2020 से दो वर्ष की अविध के लिए अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है (चिकित्सा सलाहकार परिषद में धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ग) और (घ) के तहत नियुक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नामित सदस्य):

क्र.सं.	सदस्य का नाम	राज्य या संघ राज्य क्षेत्र
		का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. सुधा शेषाय्यन, उप-कुलपति, तमिलनाडु डॉ. एम.जी.आर.	तमिलनाडु
	मेडिकल यूनिवर्सिटी, चेन्नई, तमिलनाडु।	
2.	प्रो. राजेंद्र पांडे, उप-कुलपति, पश्चिम बंगाल स्वास्थ्य विज्ञान	पश्चिम बंगाल
	विश्वविद्यालय, कोलकाता, पश्चिम बंगाल।	
3.	डॉ. हिमांशु ए. पांडे, उप-कुलपति, गुजरात विश्वविद्यालय,	गुजरात
	अहमदाबाद।	
4.	प्रोफेसर (डॉ.) महेश वर्मा, उप-कुलपति, गुरु गोबिंद सिंह इंद्रप्रस्थ	दिल्ली
	विश्वविद्यालय, दिल्ली।	
5.	डॉ. सुरेन्द्र कश्यप, उप-कुलपति, अटल चिकित्सा एवं अनुसंधान	हिमाचल प्रदेश
	विश्वविद्यालय, हिमाचल प्रदेश	
6.	डॉ. सी.वी. राव, उप-कुलपति, डॉ. एनटीआर स्वास्थ्य विज्ञान	आंध्र प्रदेश
	विश्वविद्यालय, विजयवाड़ा, आंध्र प्रदेश।	
7.	डॉ. राजाबाबू पंवार, उप-कुलपति, राजस्थान स्वास्थ्य विज्ञान	राजस्थान
	विश्वविद्यालय, जयपुर, राजस्थान।	
8.	डॉ. वी. के. दास, निदेशक, चिकित्सा शिक्षा	दादरा और नागर हवेली
		और दमन और दीव
9.	डॉ. राज बहादुर, उप-कुलपति, बाबा फरीद यूनिवर्सिटी ऑफ़ हेल्थ	पंजाब
	साइंस, फरीदकोट, पंजाब	
10.	डॉ. ओ.पी. कालरा, उप-कुलपति, पंडित भगवत दयाल शर्मा स्वास्थ्य	हरियाणा
	विज्ञान विश्वविद्यालय, रोहतक	

(5) धारा 4 की उप-धारा (4) के खण्ड (ग) के तहत, निम्नलिखित को 25 सितम्बर, 2020 से दो वर्ष की अविध के लिए अंशकालिक सदस्यों के रूप में नियुक्त किया जाता है (चिकित्सा सलाहकार परिषद में धारा 11 की उप-धारा (2) के खण्ड (ड.) के तहत नियुक्त राज्य और संघ राज्य क्षेत्रों के नामित सदस्य):

क्र.सं.	नाम	राज्य चिकित्सा परिषद का नाम
(1)	(2)	(3)
1.	डॉ. उर्मिला सिंह	उत्तर प्रदेश चिकित्सा परिषद
2.	डॉ. संजीव कुमार प्रसाद	सिक्किम चिकित्सा परिषद

3.	डॉ. रानी भास्करन	केरल चिकित्सा परिषद
4.	डॉ. एच. वीरभद्रप्पा	कर्नाटक चिकित्सा परिषद
5.	डॉ. अजय कुमार खन्ना	उत्तराखंड चिकित्सा परिषद
6.	डॉ. कोज जरबो	अरुणाचल प्रदेश चिकित्सा परिषद
7.	डॉ. सहजानंद प्रसाद सिंह	बिहार चिकित्सा परिषद
8.	डॉ. शिव कुमार शंकर उत्तूरे	महाराष्ट्र चिकित्सा परिषद
9.	प्रो.डॉ.थोंगम भीमों सिंह	मणिपुर चिकित्सा परिषद

(6) धारा 8 की उप-धारा (1) के तहत, राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग के सचिवालय के लिए सचिव, जैसा कि नीचे विनिर्दिष्ट है, 25 सितम्बर, 2020 से तीन वर्ष की अवधि के लिए नियक्त किया जाता है:

डॉ. राकेश कुमार वत्स, पूर्व-महासचिव, शासी मंडल, भारतीय चिकित्सा परिषद।

[सं.वी.11013/01/2019-एमईपी]

निपुण विनायक, संयुक्त सचिव

MINISTRY OF HEALTH AND FAMILY WELFARE

(Department of Health and Family Welfare)

NOTIFICATION

New Delhi, the 24th September, 2020

- **S.O. 3260(E).**—In pursuance of the provisions of sub-section (1) of section 4 read with subsection (1) of section 5 and sub-section (1) of section 8 of the National Medical Commission Act, 2019 (30 of 2019), the Central Government hereby constitutes the National Medical Commission, consisting of the following members, namely:-
- (1) Under sub-section (2) of section 4, the Chairperson of the National Medical Commission, as specified below, is appointed for a period of three years with effect from the 25th day of September, 2020:

Dr. Suresh Chandra Sharma, retd. HoD, ENT, All India Institute of Medical Sciences, New Delhi.

(2) Under sub-section (3) of section 4:

Clause of section 4(3) of the Act	Member	Status of Membership
(1)	(2)	(3)
(a)	The President of the Under-Graduate Medical	Member,ex-officio
	Education Board	
(b)	The President of the Post-Graduate Medical	Member, ex-officio
	Education Board	

(c)	The President of the Medical Assessment and	Member, ex-officio
	Rating Board	
(d)	The President of the Ethics and Medical	Member, ex-officio
	Registration Board	
(e)	The Director General of Health Services,	Member, ex-officio
	Directorate General of Health Services, New Delhi	
(f)	The Director General, Indian Council of Medical	Member, ex-officio
	Research	
(g)	Dr. Surekha Kishore, Executive Director, All India	Member, ex-officio
	Institute of Medical Sciences, Gorakhpur	
(h)	(iii) Dr. Jagat Ram, Director, Postgraduate	Member, ex-officio
	Institute of Medical Education and Research,	
	Chandigarh;	
	(iv) Dr. Rajendra A Badwe, Director, Tata	Member, ex-officio
	Memorial Hospital, Mumbai	
(i)	Ms. Arti Ahuja, Additional Secretary, Ministry of	Member, ex-officio
	Health and Family Welfare, New Delhi	

- (3) Under clause (a) of sub-section (4) of section 4, the following shall be appointed as parttime Members for a period of four years from the 25th day of September, 2020 of this notification:
 - i. Dr. Smita Kolhe, Bairagarh, Melaghat, Maharashtra
 - ii. Shri Santosh Kumar Kraleti, CEO, Foot Soldiers for Health Pvt Limited and Founder & Executive Director, Dhaatri (Mother Milk Bank), Hyderabad.
 - iii. Vacant
- (4) Under clause (b) of sub-section (4) of section 4, the following shall be appointed as part-time Members for a period of two years from the 25th day of September, 2020 (nominees of States and Union territories appointed under clauses (c) and (d) of sub-section (2) of section 11 in the Medical Advisory Council):

Serial	Name of the Member	Name of State or	
number		Union territories	
(1)	(2)	(3)	
1.	Dr. Sudha Seshayyan, Vice Chancellor, Tamil Nadu	Tamil Nadu	
	Dr. M.G.R. Medical University, Chennai, Tamil Nadu.		
2.	Prof. Rajendra Pandey, Vice Chancellor, West Bengal	West Bengal	
	University of Health Sciences, Kolkata, West Bengal.		
3.	Dr. Himanshu A. Pandya, Vice Chancellor, Gujarat	Gujarat	
	University, Ahmedabad.		
4.	Prof (Dr.) Mahesh Verma, Vice Chancellor, Guru Gobind	Delhi	
	Singh Indraprastha University, Delhi.		
5.	Dr. Surender Kashyap, Vice Chancellor, Atal Medical and	Himachal Pradesh	
	Research University, Himachal Pradesh		

6.	Dr. C.V. Rao, Vice Chancellor, Dr. NTR University of Health	Andhra Pradesh
	Sciences, Vijayawada, Andhra Pradesh.	
7.	Dr. Rajababu Panwar, Vice Chancellor, Rajasthan University	Rajasthan
	of Health Sciences, Jaipur, Rajasthan.	
8.	Dr. V. K. Das, Director, Medical Education.	Dadra and Nagar
		Haveli and Daman
		and Diu
9.	Dr. Raj Bahadur, Vice Chancellor, Baba Farid University of	Punjab
	Health Science, Faridkot, Punjab	
10.	Dr. O.P. Kalra, Vice Chancellor, Pandit Bhagwat Dayal	Haryana.
	Sharma University of Health Sciences, Rohtak	

(5) Under clause (c) of sub-section (4) of section 4, the following shall be appointed as part-time Members for a period of two years from the 25th day of September, 2020 (nominees of States and Union territories appointed under clause (e) of sub-section (2) of section 11 in the Medical Advisory Council):

Serial	Name	Name of the State Medical Council
number		
(1)	(2)	(3)
1.	Dr. Urmila Singh	Uttar Pradesh Medical Council
2.	Dr. Sanjeev Kumar Prasad	Sikkim Medical Council
3.	Dr. Rani Bhaskaran	Kerala Medical Council
4.	Dr. H. Veerbhadrappa	Karnataka Medical Council
5.	Dr. Ajay Kumar Khanna	Uttarakhand Medical Council
6.	Dr. Koj Jarbo	Arunachal Pradesh Medical Council
7.	Dr. Sahajanand Prasad Singh	Bihar Medical Council
8.	Dr. Shiv Kumar Shankar Utture	Maharashtra Medical Council
9.	Prof. Dr. Thongam Bhimo Singh	Manipur Medical Council

(6) Under sub-section (1) of section 8, the Secretary of the Secretariat for the National Medical Commission, as specified below, is appointed for a period of three years with effect from the 25th day of September, 2020:

Dr. Rakesh Kumar Vats, ex-Secretary General, Board of Governors, Medical Council of India.

[No.V.11013/01/2019-MEP] NIPUN VINAYAK, Jt. Secy.